न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4047–एक / 2012, विरूद्ध आदेश दिनांक 26–10–2012 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार टप्पा, जिला–देवास द्वारा प्रकरण कमांक 4 / अ–13 / 2011–12

पूनमचन्द्र उर्फ पुनालाल
पिता दरियावजी, निवासी–ग्राम पादां
जागीर तहसील सोनकच्छ, जिला–देवास
मध्यप्रदेश

.... आवेदक

विरूद्ध

जगदीश पिता आत्मराराम गुर्जर
निवासी–ग्राम पादां जागीर तहसील सोनकच्छ,
जिला–देवास, मध्यप्रदेश

.... अनावेदक

....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री पी0एन0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3।9।15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार टप्पा, जिला–देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक जगदीश द्वारा न्यायालय तहसीलदार टप्पा के समक्ष संहिता की धारा 131, 32, के तहत इस आशय का आवेदन पत्र रास्ते सम्बंधी प्रस्तुत किया की अनावेदक के नाम से सर्वे नं0 666, 667/1, 667/2 एवं 52, तथा 668 पर खेती करने के लिये अपने मकान जो कि नैवरीमार्ग पर स्थित है, से आगे चलकर शासकीय सड़क से होकर आगे पूर्व की ओर मुड़कर आवेदक के सर्वे नं 660/1 की उत्तरी मेढ़ से होकर अपने सर्वे नं. 667/1 व अन्य सर्वे नं0 पर पहुँचता है, उक्त मार्ग रूढ़ीगत मार्ग है। जिसका उपयोग पूर्व भूमि स्वामी करण सिंह पिता देवा जी करते आ रहे । उक्त मार्ग को आवेदक द्वारा रास्ते के स्थान पर मकान बनाकर बंद कर दिया है जिससे अनावेदक को रास्ता बंद हो गया है । खेत में सोयाबिन खड़े है शीर्घ रास्ता खोला जावें । अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के जवाब में आवेदक द्वारा संहिता की धारा 131 के तहत आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रस्तुत आवेदन में आवेदक द्वारा यह बताया गया है कि अनावेदक ने नया मकान नेवरी मार्ग पर बनाया है। उसे खेती करने में सुविधा की दृष्टि से आवेदक के खेत से निकलने का सुविधा जनक मार्ग होना बताकर नये रास्ते की मांग की जबकि वादग्रस्त रास्ता अनावेदक का कभी नहीं रहा है । अनावेदक का पुराना रास्ता पुराने गांव पांदा जागीर के पास डकाच्या रोड से होकर केशरसिंह व राजाराम तथा अन्य की मेढ़ से होकर पुराना रास्ता रहा है । अन्य लोग भी उक्त रास्ते से निकलते है । क्योंकि गांव नेवरी मार्ग से पूर्व की ओर से है तथा पूर्व की ओर अनावेदक की भूमि भी है । इसलिये उक्त खेत पर खेती करने के लिये आवेदक की भूमि तरफ नेवरी मार्ग पर आने की आवश्यकता नहीं है । अनावेदक का आवेदन निरस्त किया जावे । उसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें मौके पर अनावेदक द्वारा बताये गये वादग्रस्त रास्ते पर कोई निशान नहीं पाये गये । उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा दिनांक 26–10–2012 को अनावेदक का धारा 32 का आवेदन पत्र स्वीकार कर आवेदक की भूमि सर्वे नं0 660/1 में से फसल निकालने का आदेश पारित कर दिया गया, जिसकी जानकारी आवेदक को दिनांक 05–11–2012 को हुयी । न्यायालय

तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2012 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अनावेदक ने साक्षियों के कथनों से रूढ़ी सिद्ध नहीं की है। जबकि आवेदक ने पुराना नक्शा एवं शपथ पत्र द्वारा यह सिद्ध किया है कि वादग्रस्त रास्ता मौके पर कभी नहीं रहा हैं । उसके बावजूद भी अधनीस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता खोलने के आदेश पारित किये है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें मौके पर आवेदक की भूमि में रास्ते के कोई निशान नहीं पाये गये, मौके पर लिप्टीस का बड़ा वृक्ष है तथा मकान बना हुआ है जहॉ से गाड़ी टैक्टर का निकलना संभव नहीं है, तथा आवेदक द्वारा बताये गये वैकल्पिक मार्ग पर गाडियों के निशान पाये गये है । उससे भी यह सिद्ध होता है कि अनावेदक का वैकल्पिक मार्ग चालू है । तथा रास्ता बंद नहीं है । केवल रोड पर बने मकान से आवेदक की भूमि में से सीधे रास्ते की मांग की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नक्शे एवं शपथ पत्रों का व स्थल निरीक्षण के प्रतिवेदन का अवलोकन न करते हुये विवादित आदेश पारित करने की भूल की है, जो निरस्तीय योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 131 एवं धारा 32 के नियमों के प्रक्रिया के विपरीत आदेश पारित करने की भूल की है । अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय तहसीलदार टप्पा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2012 निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अनावेदक द्वारा न्यायालय तहसीलदार टप्पा के समक्ष अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नं0 666, 667/1, 667/2 एवं 668 पर जाने के रूढ़ीगत सदामत के मार्ग पर से आवेदक द्वारा किये गये अवरोध को हटाने बावत् संहिता की धारा 131 के तहत वाद प्रस्तुत किया है साथ ही रूढ़ीगत सदामत के मार्ग को खुला कराये जाने बावत् आवेदन पत्र संहिता की धारा 32 के तहत प्रस्तुत किया गया है । उक्त रास्ते का उपयोग पूर्व भूमि स्वामी करणसिंह पिता देवाजी निवासी पान्दा जागीर तथा उनके पूर्व के भूमि स्वामी बालाराम निवासी पान्दा जागीर करते थें तथा वर्ष

1999 से उक्त वादग्रस्त रास्ते का उपयोग, उपभोग आवेदक के ज्ञान में अनावेदक निरन्तर निर्बाध रूप से करता आ रहा था । परन्तु दिनांक 23–07–2012 कि लगभग पूर्व दिनांक 15–07–2012 के आस पास आवेदक द्वारा अनावेदक के रूढ़ीगत मार्ग को काटे लगाकर बंद कर दिया तथा अपनी भूमि 660 / 1 की उत्तर मेढ़ जिस पर अनावेदक का सदामत का रास्ता स्थित हैं पर ताबड़तोब गारे, इंट की कच्ची टापरी का निर्माण करने लगा जिसे हटाये जाने के लिये अनावेदक ने यह प्रकरण तहसीलदार टप्पा के समक्ष प्रस्तुत किया है । अनावेदक ने दिनांक 15 जून 1999 को विक्रेता करण सिंह से उसे स्वामित्व की भूमि सर्वे नं0 667 रकबा 0.37 आरे में से 0ण्36 आरे भूमि 50,000 / – रुपये प्रतिफल देकर विधिवत रजिस्ट्री कराकर क्रय की तथा शेष 0.01 की भूमि विक्रेता करण सिंह ने अपने पास सर्वे नं0 666 में जाने के रास्ते के रूप में अपने पास रखी तथा दिनांक 24 जून 2002 को उसी विक्रेता करणसिंह ने अपनी शेष बची कृषि भूमि 0.01 आरे जो कि 667 / 1 थी का विक्रय अनावेदक को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के किया तथा उसी दिनांक को अपनी अन्य कृषि भूमि सर्वे नं0 666 रकबा 0.59 आरे अनावेदक को 1,30,000 / – रुपये में विक्रय कर मौके पर कब्जा सौंप दिया । उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर यह बात स्पष्ट रूप से साबित हैं कि, विक्रेता करणसिंह उक्त सदामत के रास्ते से ही अपनी कृषि भूमि सर्वे नं0 667 एवं 666 पर आता जाता था एवं कृषि कार्य करता था । इसलिये उसने रास्ते के लिये शेष बचा ली थी जिससे कि वह अपनी कृषि भूमि 666 पर आ जा सके । इस बात से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि उक्त वांछित रूढ़ीगत रास्ता अनावेदक का सदामत से रहा हैं जिसका ज्ञान आवेदक को शुरू से ही रहा है। दिनांक 15–06–1999 से ही लगभग 13 वर्षों से अनावेदक निरंतर निर्बाध रूप से वांछित रूढ़ीगत मार्ग से अपनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहा था । परन्तु दिनांक 15–07–2012 से आवेदक, अनावेदक को अपनी कृषि भूमि पर जाने से रोक रहा हैं मौके पर अनावेदक की सोयाबिन की फसल कट कर पड़ी हुई हैं जो दिन प्रतिदिन नष्ट हो रही है । आवेदक द्वारा 05–09–2012 को अनावेदक के धारा 32 के आवेदन पत्र का असत्य उत्तर तहसीलदार न्यायालय के समक्ष दिया गया जिसमें

आवेदक द्वारा बताया गया कि, अनावेदक का रास्ता सबके खेत खाली होने पर गांव से उत्तर की ओर इन्दर व बाबूलाल के मकान के बीच से उत्तर दिशा की ओर चलकर राजेश चौहान एवं केसर सिंह की बीच की मेढ़ से होते हुये आगे केशरसिंह व प्रभु की बीच की मेढ़ से होते हुये अनावेदक अपनी कृषि भूमि में पहुॅच जाता हैं । उक्त अभिवचन के समर्थन में आवेदक पूनमचन्द्र ने अपना असत्य शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है । अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क में यह भी बताया है कि दिनांक 10–10–2012 को उभयपक्षों एवं उनके अभिभाषकों तथा ग्राम पटवारी एवं चौकीदार एवं अन्य ग्राम के पंचों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया तथा स्थल निरीक्षण में यह स्पष्ट पाया है कि, आवेदक द्वारा उसकी कृषि भूमि सर्वे नं0 660/1 की उत्तरी मेढ़ में एक नवीन टापरी का निर्माण किया हैं तथा आगे के हिस्से को रास्ते के चिहन मिटाने के लिये हाक दिया है । स्थल निरीक्षण में यह भी पाया है कि मौके पर अनावेदक की फसल कटकर पड़ी हैं जो कि नष्ट हो रही है । आवेदक द्वारा बताये गये वैकल्पिक मार्ग का भी अवलोकन किया जिसमें यह स्पष्ट पाया है कि, अनावेदक के खेत के बाद दक्षिण दिशा में अन्य कृषकों की भूमि है जिसमें कोई रास्ते के चिहन नहीं है तथा जो मेढ़ स्थित हैं वह दो–ढाई फीट की हैं तथा बाद में तीन–चार खेत छोड़ने के बाद राजेश चौहान (वकील) की भूमि है जिसमें गाड़ी गरवट के निशान उनकी भूमि में ही है जो आगे जाकर पान्दा, डकाच्या मार्ग पर मिल जाते है । अनावेदक का रास्ता नेवरी–नेवरी फाटा मार्ग से पूर्व की ओर आवेदक के सर्वे नं0 660/1 के उत्तरी मेढ़ से होते हुवे ही रहा हैं जिसे आवेदक ने बंद कर दिया हैं । इस प्रकार आवेदक द्वारा जो रास्ता अनावेदक का बताया हैं वह नवीन मार्ग हैं तथा अन्य कृषकों की भूमि से है तथा अधिक घुमावदार एवं लंबा है । इस संबंध में राजस्व मण्डल, ग्वालियर द्वारा न्याय दृष्टांत 1971 राजस्व निर्णय पृष्ठ 584 इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है कि, संहिता की धारा 32 के विनिश्चय में किसी भी सुरत में नवीन मार्ग का सृजन नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार वर्ष 1998 रेव्हेन्यू निर्णय पृष्ठ 335 भूरालाल विरूद्ध घीसा के प्रकरण में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि, वैकल्पिक मार्ग किसी अन्य कृषक के खेत में स्थित है जो कि प्रकरण

में पक्षकार नहीं है तो उसे नहीं दिलाया जा सकता इसी प्रकार 1966 रेव्हेन्यू निर्णय पृष्ठ 35 में राजस्व मण्डल द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि वैकल्पिक मार्ग अधिक घुमावदार व लंबा हो तथा अनावेदक द्वारा वांछित मार्ग सरल एवं सुविधाजनक हो तो सरल एवं सुविधा जनक मार्ग दिलाया जाना न्यायोचित है । आवेदक द्वारा जो वैकल्पिक मार्ग बताया गया है वह दो–ढाई फीट ही चौढ़ा है जो कि अत्यन्त सकड़ा हैं जिससे किसी भी प्रकार से कृषि कार्य नहीं किया जा सकता इस प्रकार मौके पर कोई वैकल्पिक मार्ग विद्यमान ही नहीं हैं और यदि विद्यमान हो भी तो भी रूढ़ीगत मार्ग को वरियता पूर्वक खुला कराया जावेगा यह सिद्धांत राजस्व मण्डल द्वारा अपने न्याय दृष्टांत 1963 एम0पी0एल0जे0 पृष्ठ 26 में प्रतिपादित किया हैं जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी यथावत रखा गया हैं। सर्वे नं0 668 जो कि वर्तमान में नगजीराम के नाम से राजस्व कागजात में स्थित हैं परन्तु उक्त भूमि पर अनावेदक ही काबिज है । नगजीराम से उसके स्वामित्व के सर्वे नं0 668 को अनावेदक द्वारा वर्ष 2006 में सम्पूर्ण प्रतिफल देकर क्रय कर लिया है तथा अभी उसका विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया गया है । नगजीराम भी इसी रास्ते से आता जाता है । इस प्रकार अनावेदक द्वारा जो रास्ते की मांग की गई है वह रूढ़ीगत रास्ता है, यदि उक्त रास्ते को तुरंत नहीं खुलवाया गया तो अनावेदक की सोयाबीन की फसल नष्ट हो जावेगी, जिससे अनावेदक को आर्थिक एवं वैधानिक क्षति होगी जिसकी पूर्ति द्रव्य में नहीं हो सकती । अतं में अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा संहिता की धारा 32 के समर्थन में प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये न्यायासंगत एवं विधिनुकूल आदेश पारित कर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार के अन्तरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । तहसीलदार ने तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए स्थल निरीक्षण के बाद अन्तरिम रास्ता खोले जाने का आदेश दिया है । साक्ष्यों के आधार पर अन्तिम रूप से रास्ते के विवाद पर अभी प्रकरण का निराकरण होना है ।

अन्तरिम व्यवस्था का आधार साक्ष्य नहीं होकर स्थल निरीक्षण के आधार पर की गई समरी जांच होता है जिसके विरूद्ध निगरानी में ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अन्तरिम व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी । न्यायिक सिद्धान्त 2002 आर0एन0 113 में भी यही व्यवस्था दी गई है कि आवश्यकता होने पर तहसीलदार को अन्तरिम व्यवस्था करनी चाहिए ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर